ई–मेल/मा0 अंकुश समिति प्रकरण
साक्ष्य बैठक दिनांक 21.10.2022
तैयारी बैठक दिनांक 20.10.2022
संख्या–1872/आठ–9–22–03समिति/20

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद/लखनऊ/कानपुर विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2022**

विषयः उ0प्र0 विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने विषयक मा0 अंकुश समिति की साक्ष्य बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1935/आठ–2–22–02 बैठक/07टी0सी0, दिनांक 17.10.2022 के साथ संलग्न उप सचिव, विधान परिषद के पत्र सं0–613/वि0प0–समिति–2, दिनांक 17.10.2022 के साथ संलग्न सूची (समस्त छायाप्रतियॉ संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने के सम्बन्ध में **मा0 समिति की दिनांक 21.10.2022 को अपरान्ह 12:35 बजे विधान परिषद के समिति कक्ष संख्या–80, विधान भवन लखनऊ में साक्ष्य बैठक** आहूत की गयी है।

2– अवगत कराना है कि संलग्न सूची के **कमांक–1 व 2** पर उल्लिखित प्रकरण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से, **क्रमांक–3** पर उल्लिखित प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा **क्रमांक–5** पर अंकित प्रकरण कानपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

प्रकरण क्र0–1 मधुवन बापूधाम योजना के अन्तर्गत दायर एस0एल0पी0 सं0–(सिविल) नं0–16609/2010 में सिविल अपील सं0–11501/2016 एम/एस सहारा इण्डिया कार्मशियल कार्पोरेशन लि0 वी0/एस स्टेट ऑफ यू0पी0 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में अर्जन व्यय के मद में हुई वृद्धि की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण क्र0–2 श्री मुन्ना सिंह चौहान, स0वि0प0 को विधायक कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2006 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मांगे गये भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में (पीड़ित पक्षकार एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ)।

प्रकरण क्र0–3 श्री राम सेवक दुबे को लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर स्थित वास्तुखण्ड योजना में एक भू–खण्ड का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण क्र0–5 श्रीमती प्रेमा बाजपेई पत्नी स्व0 जगदीश कुमार बाजपेई, निवासी– 120/560 शिवाजी नगर, कानपुर नगर को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

3– इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों के सम्बन्ध में **दिनांक 20.10.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे तैयारी बैठक** की जायेगी, जिसमें जनपद लखनऊ के बाहर के प्राधिकरणों/संस्थाओं/कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से तैयारी बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा।

4– अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के संबंध में **अद्यावधिक स्थिति की आख्या आज ही हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कापी (वर्ड फाईल) में email-urbanhousing9@gmail.com** पर उपलब्ध कराते हुए मा0 अंकुश समिति की उक्त निर्धारित साक्ष्य बैठक दिनांक 21.10.2022 एवं तैयारी बैठक दिनांक 20.10.2022 को नियत तिथि एवं समय पर पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

18.10.22

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में पीड़ित पक्षकार एवं मेरठ विकाास विकास प्राधिकरण के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
2. प्रवेश–पत्र कार्यालय, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय को इस आशय से कि कृपया उक्त तैयारी बैठक दिनांक 20.10.2022 में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों को उक्त तिथि का सचिवालय प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

ई–मेल/विधान परिषद जॉच/अंकुश समिति प्रकरण
साक्ष्य बैठक/दिनांक 21.10.2022
तैयारी बैठक/दिनांक 20.10.2022
संख्या–**1935**/आठ–2–2022–02 बैठक/07टी0सी0

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2022

विषय–उ0प्र0 विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के सम्बन्ध में समिति की दिनांक 21.10.2022 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, विधान परिषद सचिवालय, समिति अनुभाग–2 के आज्ञा पत्र संख्या–613/वि0प0–समिति–2 दिनांक 17.10.2022 (**छायाप्रति संलग्न**) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से **उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के सम्बन्ध में समिति की दिनांक 21.10.2022 को अपरान्ह 12:35 बजे विधान परिषद के कक्ष संख्या–80, विधान भवन,** लखनऊ में आयोजित साक्ष्य बैठक में उपस्थित होने एवं प्रकरणों की प्रगति आख्या की 25–25 प्रमाणित प्रतियां बैठक से दो कार्यदिवस पूर्व उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

मा0 समिति की साक्ष्य बैठक से पूर्व दिनांक 20.10.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय कक्ष में तैयारी बैठक आहूत की गयी है जिसमें जनपद लखनऊ के बाहर के अधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से तैयारी बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया परिषद से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या यदि कोई हो तो दिनांक 19.10.2022 तक शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित तैयारी बैठक एवं साक्ष्य बैठक में पूर्ण सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

P.G.O.-2022-(508)

<u>संख्या–1935(1)/आठ–2–2022, तददिनांक।</u>

उक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– **समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने से सम्बन्धित प्रकरण के विषय में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से समिति अनुभाग–2 को ससमय अवगत कराते हुए उसकी फैक्ट शीट तैयार कर **दिनांक 20.10.2022** तक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मा0 समिति की साक्ष्य बैठक से पूर्व प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.10.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे तैयारी बैठक आहूत की गयी हैं, **जिसमें लखनऊ के बाहर के अधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से तैयारी बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा।**

अतएव साक्ष्य बैठक में प्रतिभाग किए जाने हेतु सम्बन्धित फील्ड के अधिकारियों को संगत सूचना/अभिलेखों के सहित अपने स्तर से आमंत्रित करते हुए साक्ष्य बैठक/तैयारी में प्रतिभाग करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

उक्त के साथ ही कृपया संलग्न सूची में अपने अनुभाग से संबंधित प्रकरणों को चिन्हित/पुष्टि करें **आज ही** आवास अनुभाग–2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

3– निजी सचिव, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

4– संयुक्त सचिव/समस्त उप सचिव/समस्त अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

5– **स्वागत अधिकारी, प्रवेश पत्र कार्यालय, एनेक्सी भवन** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर (दिनांक 20.10.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे तैयारी बैठक) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय कक्ष में आहूत तैयारी बैठक में प्रतिभाग करने वाले उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों का प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

6– **मुख्य स्वागत अधिकारी, प्रवेश पत्र कार्यालय गेट नं0–9** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर मा0 अंकुश समिति की आहूत साक्ष्य बैठक (दिनांक 21.10.2022 को मध्यान्ह 12:35 बजे) में प्रतिभाग करने वाले उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं संबंधित विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों का प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

सं० -1935/आठ-2-22

राकेश कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

बैठक / साक्ष्य
दि० 21.10.2022
स० 12:35 बजे
कक्ष - सं - 80

6228/PSH/2022

विधान भवन,
लखनऊ।

आज्ञा–पत्र

संख्या: 613 / वि0प0–समिति–2
लखनऊ : दिनॉक 17 अक्टूबर, 2022

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
S(A)/आवास-2 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के संबंध में समिति की दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 की प्रस्तावित बैठक में संलग्न प्रश्नावली में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा करने के लिये आपको साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया गया है।

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
12/10/22

अतः आप कृपया संलग्न सूची में **अंकित बिन्दुओं पर अद्यतन आख्या की 25–25 प्रमाणित प्रतियॉ बैठक से दो कार्य दिवस पूर्व अवश्य ही इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समयोपरान्त कोई भी आख्या स्वीकार नहीं की जायेगी। समिति की दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 को होने वाली** बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों सहित **अपराह्न 12:35** बजे विधान परिषद् के कक्ष संख्या–80, विधान भवन लखनऊ में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

मंत्री बैठक
20.10.2022
12.00 बजे

उप सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की "विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने / जॉच किये जाने के संबंध समिति" की दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 की बैठक में साक्ष्य हेतु विचारणीय प्रकरणों की सूची:—

<u>आवास एवं शहरी नियोजन विभाग</u> <u>अपराह्न 12:30 बजे।</u>

1—मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत दायर एस0एल0पी0 संख्या (सिविल) नं0—16609 / 2010 में सिविल अपील संख्या—11501 / 2016 एम / एस सहारा इहण्डया कामर्शियल कार्नोरेशन नि0 वी0 / एस स्टेट ऑफ यू0पी0 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 30.11.2016 के क्रम में अर्जन व्यय के मद में हुई वृद्धि की धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में।

2—श्री मुन्ना सिंह चौहान, स0वि0प0 को विधायक कोटे के अन्तर्गत वर्ष 2006 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मांगे गये भूखण्ड के आवंटन के संबंध में।**(पीड़ित पक्षकार एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ)**

3—श्री राम सेवक दुबे को लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर स्थित वास्तुखण्ड योजना में एक भू—खण्ड का आवंटन कराये जाने के संबंध में।

4—भूखण्ड संख्या—253 ब्लाक बी, सुजातगंज योजना—2 एकल विन्डो कानपुर नगर को फ्री—होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

5—श्रीमती प्रेमा बाजपेई पत्नी स्व0 जगदीश कुमार बाजपेई नि0—120 / 560 शिवाजी नगर, कानपुर नगर को कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में।